

FORM NO. III

APP-A

फर्द अहकाम

crim-I

(नियम 26)

नाम अदालत उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

जाकिर बनाम आवनूर वगैरे,
 किस्म मुकदमा नं. सन्
 29/दवा/24

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|--|---|
| 1.7.24 | वाद पत्र/प्रार्थनापत्र धारा 53, 188 RT Act के तहत एवं प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी. के साथ वकील श्री <u>शजिबा कुमार हाकीर</u> ने पेश किया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी. पर वकील वादी/प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक <u>23.9.24</u> को पेश हो। | |
| 23.9.24 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीतासैन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य में तारीफ रखते हैं। पत्रावली दि. <u>21.1.25</u> को पेश हो। | |
| 21.1.25 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। वकील वादी ने पत्रावली Not processed किये जाने हेतु निवेदन किया। Not processed किये जाने से पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं रहने के कारण पत्रावली खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से क्रम की जाकर बाद तफ्तील दाखिल दफ्तर हो। | Not processed राजेन्द्र 21-1-25 |
| | उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी) | |